

क्रमांक: 1235-C

दिनांक: 10/12/2021

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सी-18, वन भवन, सैक्टर-6,
पंचकूला, हरियाणा।

विषय:- **Diversion of 0.014 hac. of forest land for road access to the Affordable Residential plotted colony (under Deen Dayal Jan Aawas Yojna), along Sohna Daula road Km 1-2 L&R / side at village Sohna, under Forest Divison & Distt. Gurugram. FP/HR/APPROACH/41473/2019.**

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9995 / 5276-77 दिनांक 07.12.2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र की मद संख्या 1 के सन्दर्भ में संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम बनाकर पत्र के साथ भेजी जाती है। प्रस्ताव में 3 वृक्ष बाधित है जिसकी वाल्यूम 0.69m³ है तथा कोई पौधा बाधित नहीं है। इसके अतिरिक्त मद संख्या 2 के सन्दर्भ में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा इस कार्यालय को लिखा गया है कि उन्हें Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है। प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र की प्रति इस कार्यालय को दी गई है। अतः संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम तथा प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त दस्तावेज पत्र के साथ आगामी कार्यवाही हेतु भेजे जाते हैं।

संलग्न / उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
4 09/12/2021

पृ० क्रमांक / 1236-C

दिनांक / 10/12/2021

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
4 09/12/2021

9/12